न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 8 / 18 दायरा दिनांक 13.12.2018
आर.सी.एम.एस. नम्बर – 2018 / 00063

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

चन्द्रमोहन पुत्र द्वारकालाल जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां– **प्रार्थी**

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां
2. मोहनबाई पुत्री अमरलाल जाति बैरवा निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां
3. पार्वतीबाई पुत्री अमरलाल जाति बैरवा निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – **अप्रार्थीगण**

उपस्थित :–

श्री सिमरनजीत सिंह एवं विजयसिंह, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री आर.के नागर, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र 14(4) वास्ते निरस्त कराने आवंटन दिनांक 13.12.1975 बमुकाम नाहरगढ़ तहसील किशनगंज।

निर्णय **दिनांक** 30-7-2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम मामली तहसील किशनगंज के साबिक खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बीघा भूमि तथा नया खसरा नं. 46/3 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार साकिन मामली को दिनांक 13.12.1975 को आवंटन की गई थी। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आवंटन के पश्चात् मूल आवंटी अमरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा कभी भी इस आराजी पर ना तो कब्जा लिया तथा ना ही कभी काश्त की। ग्राम मामली का साबिक खसरा नं. 46 बहुत बड़ा भू भाग था। जिस पर प्रार्थी के परिवार का अपने पूर्वजों के समय से ही पीढी दर पीढी कब्जा रहा है, तथा प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 44 व खसरा नम्बर 46 भी यहीं स्थिति है उक्त आराजी पर प्रार्थी का पीढ़ी पर पीढी कब्जा रहा उसके बावजूद भी भू आवंटन समिति द्वारा बिना उद्घोषणा जारी किये और बिना तहकीकात किये की किस भूमि पर कौन काबिज है और भूमि आवंटन हेतु अनओक्यूपाईड लैण्ड होते हुये भी आवंटन दिनांक 13.12.1975

अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल को किया जो आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा पूर्वजों के समय से ही बदस्तूर चला आ रहा है तथा प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी को काफी मेहनत, श्रम व धन खर्च करके नोतोड कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन के 42 वर्ष के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा एक कार्यवाही तहसीलदार किशनगंज के यहां अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थी को अपनी सुनवाई का व अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर प्रदान नहीं करते हुये प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये जबकि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी रिपोर्ट द्वारा अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहने की पुष्टि होने तथा प्रार्थी का ही सिद्ध होने के बावजूद भी प्रार्थी को बेदखल करने का आदेश जारी किया गया जो विधी विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन समिति द्वारा आवंटन नियमों की अवेहलना की गई है अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल का कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद भी तथा उसके खाते में आराजी के पश्चात् बिना तहकीकात किये आवंटन किया गया है तथा आवंटन के पश्चात् मूल आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने के कारण उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषकगण प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अभिभाषक प्रार्थी ने अपने बहस में कहा कि ग्राम मामली की खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बीघा भूमि तथा नये खसरा नम्बर 46/3 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार साकिन मामली को दिनांक 13.12.1975 को आवंटन की गई थी उक्त आवंटन के पश्चात मूल आवंटी अमरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा कभी भी उक्त आराजी पर न तो काकई कब्जा लिया तथा न ही कभी काश्त की। वास्तविकता में ग्राम मामली का साबिक खसरा नं. 46 एक बहुत बडा भू भाग था जिस पर प्रार्थी के परिवार का अपने पूर्वजो के समय से पीढ़ी पर पीढ़ी आवंटन के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है था। तथा प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 44 व 46 भी वहीं स्थित है इतने लम्बे कब्जे के बाबजूद भू आवंटन समिति द्वारा बिना उद्घोषणा जारी किये ओर बिना तहकीकात किये कि किस भूमि पर कौन काबिज है। तथा भूमि अनओक्यूपाईड लैण्ड होते हुये भी आवंटन दिनांक 13.12.1975 अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल के पक्ष में किया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 42 वर्ष पश्चात् एक कार्यवाही तहसीलदार किशनगंज के यहां अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रस्तुत की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त भूमि पर ना तो कभी अमरलाल का और उसकी मृत्यु के पश्चात् ना ही उसके वारिसान का (अप्रार्थीगण) कब्जा रहा है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब किसी को भी जमीन आवंटन की जाती है तो उसे दो वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा करना

आवश्यक है उक्त प्रोविजन आदेशात्मक प्राविजन है जिसकी पालना करना नियम 18 से 21 की पालना करना नितान्त आवश्यक है जो उक्त प्रकरण में नहीं की गई है जो आवंटन कपटपूर्ण तरीके से तथा सही तथ्यों को छुपाकर किया गया हो उसे सद्भाविक प्रार्थना पत्र पर कभी भी निरस्त किये जाने का अधिकार सम्मानीय न्यायालय को ही है।

यह कि उपरोक्त आवंटन का उल्लेख मात्र नामान्तरकरण पंजिका में है मूल आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से उक्त कार्यवाही कार्यवाही नामान्तरकरण पंजिका के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि इस तरह का आवंटन आवंटन समिति द्वारा नियमों की अवेहलना कर किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी नम्बर 1 से 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 46 रकबा 10.00 बीघा ग्राम मामली का आवंटन दिनांक 13.12.1975 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल निवासी मामली को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के तहत गठित आवंटन सलाहकार समिति के तीन सदस्यों के पूर्ण कोरम किया गया था, और आवंटी अमरलाल को दखल दिया गया था इसके बाद विवादित आराजी को अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के माता–पिता ने विवादित आराजी को काश्त योग्य बनाने में काफी मेहनत की है और काफी पैसा खर्च किया है। प्रार्थी का यह कहना कि आवंटन के समय विवादित आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी बेकार है क्योंकि राजस्व अभिलेख (नामान्तकरण नकल) जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 46 रकबा 10.00 बीघा आवंटन के दिन दिनांक 13.12.1976 को सिवाय चक दर्ज थी तथा आवंटन के लिए उपलब्ध थी, और आर.आर.डी. 1996 पेज नं. 234 ब उनवान गोपाल बनाम सुक्खा अपील नं. 14/1990 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी आवंटित भूमि पर किसी अतिक्रमी का कब्जा हो उस हालत में कानून के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के कब्जे वाली भूमि को आवंटन के वास्ते खाली एवं उपलब्ध होना माना जावेगा। और एसी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। यह कि विवादित आराजी को आवंटन के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के माता–पिता ही काश्त करते चले आ रहे थे। लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के माता–पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण 2 वर्ष के लिए खाने कमाने बाहर चले जाने के कारण प्रार्थी के पिता द्वारकीलाल ने पीछे से विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया था। जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त भूमि की पेमाईस दिनांक 24.05.2017 को करवाई थी। इसके बाद अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 ने प्रार्थी चन्द्रमोहन एवं उसके पिता द्वारकी लाल को विधिवत तरीके से विवादित भूमि खसरा संख्या 46/3 रकबा 10.00 बीघा से बेदखल करने हेतु न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. प्रकरण संख्या 03/2017 प्रस्तुत किया था जो न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा गुणावगुण पर दिनांक 07.07.2017 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पक्ष में प्रार्थी चन्द्रमोहन एवं उसके पिता के खिलाफ निर्णित किया जाकर

प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारकीलाल को विवादित भूमि खसरा संख्या 46/3 रकबा 10.00 बीघा से बेदखल किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को कब्जा सम्भलाने का निर्णय पारित किया था। उक्त निर्णय दिनांक 07.07.2017 की अनुपालना में दिनांक 12.08.2017 को हल्का पटवारी एवं सर्किल कानूनगो द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को विवादित भूमि से प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारकीलाल को बेदखल किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को कब्जा संभला दिया गया है और अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 वर्तमान में अपने खाते की भूमि पर ही काबिज हैं। विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा कब्जे के आधार 25 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकारों की पुष्टि की जा चुकी है और वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 विवादित आराजी के चालू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार दर्ज है और 1995 आर.आर.बी.जे. पेज क्रं. 780 में माननीय राज. उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि एक बार एक आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद कलक्टर को 1970 के आवंटन नियमों के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सिद्वान्त को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी भी आवंटी को एक बार खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है तो उसकी खातेदारी को आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप खारिज किया जा सकता है न कि आवंटन नियमों के नियम 14(4) में, इस निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद केवल तकनीकी आधार पर इतने लम्बे समय के बाद कियी भी खातेदार के खातेदारी अधिकारों को आवंटन नियमों की धारा 14(4) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता और अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 ने विवादित आराजी पर एस.बी.बी.जे. शाखा नाहरगढ़ से ऋण ले रखा है जो अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को विवादित आराजी पर कब्जे की पुष्टि करने के बाद ही दिया गया है। प्रार्थी राजनैतिक रूप से प्रभावशाली, अमीर एवं धाकड जाति का ताकतवर व्यक्ति है। जो अनुसूचित/चमार के अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को अनावश्यक रूप न्यायालयों एवं थाने तथा अन्य जगहों पर परेशान कर रहा है। जबकि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता अमरलाल को उक्त आवंटन राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत चमार (अनुसूचित जाति) एक आदिम जाति है। जिसके गरीब एवं भूमिहीन अशिक्षित लोगों को जीविकापार्जन हेतु वर्ष 1975 में 10.00 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता अमरलाल विधिवत तरीके से किया गया है। लेकिन प्रार्थी अनावश्यक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 पर निरन्तर दबाव बना रहें है। तथा इस भूमि को छुडवाने के प्रयास में हैं। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को यदि उक्त आवंटन बाबत् कोई आपत्ति थी तो प्रार्थी को उसी समय कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थी ने 43 वर्ष तक क्यों इन्तजार किया। प्रार्थी ने 43 वर्ष (लगभग चार दशक) बाद इतने विलम्ब से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इतने विलम्ब का क्या कारण रहा इसका कोई उल्लेख प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र नहीं किया है। और इतने बिलम्व को माफ करने के लिए प्रार्थी ने न तो धारा 5 भा0 मियाद अधि0 बाबत् कोई प्रार्थना पत्र और न ही

कोई शपथ पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपने बहस में कहा कि ग्राम मामली की खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बीघा भूमि तथा नये खसरा नम्बर 46/3 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार साकिन मामली को दिनांक 13.12.1975 को आवंटन की गई थी उक्त आवंटन के पश्चात मूल आवंटी अमरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा कभी भी उक्त आराजी पर न तो वाकई कब्जा लिया तथा न ही कभी काश्त की। वास्तविकता में ग्राम मामली का साबिक खसरा नं. 46 एक बहुत बडा भू भाग था जिस पर प्रार्थी के परिवार का अपने पूर्वजो के समय से पीढ़ी पर पीढ़ी आवंटन के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है था। तथा प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 44 व 46 भी वहीं स्थित है इतने लम्बे कब्जे के बाबजूद भू आवंटन समिति द्वारा बिना उद्घोषणा जारी किये ओर बिना तहकीकात किये कि किस भूमि पर कौन काबिज है। तथा भूमि अनओक्यूपाईड लैण्ड होते हुये भी आवंटन दिनांक 13.12.1975 अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल पुत्र मांगीलाल के पक्ष में किया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 42 वर्ष पश्चात् एक कार्यवाही तहसीलदार किशनगंज के यहां अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रस्तुत की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त भूमि पर ना तो कभी अमरलाल का और उसकी मृत्यु के पश्चात् ना ही उसके वारिसान का (अप्रार्थीगण) कब्जा रहा है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब किसी को भी जमीन आवंटन की जाती है तो उसे दो वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा करना आवश्यक है उक्त प्रोविजन आदेशात्मक प्राविजन है जिसकी पालना करना नियम 18 से 21 की पालना करना नितान्त आवश्यक है जो उक्त प्रकरण में नहीं की गई है जो आवंटन कपटपूर्ण तरीके से तथा सही तथ्यों को छुपाकर किया गया हो उसे सद्भाविक प्रार्थना पत्र पर कभी भी निरस्त किये जाने का अधिकार सम्मानीय न्यायालय को ही है।

यह कि उपरोक्त आवंटन का उल्लेख मात्र नामान्तरकरण पंजिका में है मूल आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से उक्त कार्यवाही कार्यवाही नामान्तरकरण पंजिका के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि इस तरह का आवंटन आवंटन समिति द्वारा नियमों की अवेहलना कर किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में बताया कि जो लिखित बहस मैंने 14(4) की पत्रावली में पेश कि हैं वही तथ्य इस 183(बी) की पत्रावली में माना जावें।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली के अवलोकन एवं अध्ययन के पश्चात् यह पाया कि प्रार्थी द्वारा अपील आवंटन के विरूद्ध आवंटन निरस्त करने हेतु 14(4) का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2018 को

अर्थात् लगभग 43 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल को आवंटन विधि विरूद्ध किया गया हो अथवा आवंटन किसी प्रकार की अनियमित्ता साबित होती हो। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 183(बी) की कार्यवाही से व्यतीत होकर प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। प्रार्थी का कथन कि उसका उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जा है बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं खसरा गिरदावरी, नकल सम्वत् 2071 से 2074 में अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज होना पाया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल को आवंटित भूमि खसरा नं. 46/3 रकबा 10 बीघा के आवंटन में किसी प्रकार की अनियमित्ता होने या आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: